नियमानुसार विभागीय अधिसूचना प.10(2)राज-6/00/पार्ट-I/38 दिनांक 3.6.02 का हिन्दी अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः- प.10(2)राज-6/2000/पार्ट-I/47 जयपुर, दिनांकः- 2.07.02

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 261 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 153-क का अन्तःस्थापन.- राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 153 के पश्चात और नियम 154 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 153-क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"153-क कम्प्यूटर से जमाबन्दी का प्रमाणित संक्षिप्त सार तैयार और जारी किया जाना.- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जमाबन्दी कम्प्यूटर से प्रपत्र पी-26 (क) में भी तैयार की जा सकेगी। यह नियम 153 से 167 के अनुसार प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी। उसमें ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम, उनकी भूधृति की प्रकृति और भूमि में के हित सहित अभिलिखित किये जायेंगे जो भू-राजस्व या लगान का संदाय करने के दायी है और जो किसी भूमि पर खेती करते है या किसी अन्य रीति से उस पर काबिज है।

क्रमशः ..2 पर

(2) तहसीलदार/नायब तहसीलदार किसी भी आवेदक को कम्प्यूटर से प्रारूप त-26(क) में तैयार जमाबन्दी का प्रमाणित संक्षिप्त सार देगा। प्रमाणित संक्षिप्त सार 10 खसरा नम्बर तक 10/- रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त 10 खसरा संख्या या उसके भाग के लिए 5/- रुपये की फीस का संदाय करने पर प्रारूप त-26(ख) में दिया जायेगा।

3 <u>नये प्रारूपों का अन्तःस्थापन.-</u> उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्रारूप त-26 के पश्चात और प्रारूप त-27 के पूर्व, निम्नलिखित नये प्रारूप, प्रारूप-26 (क) और प्रारूप त-26(ख), अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात:-

क्रमश.....3 पर

" प्रपत्र त-26 (क)

जमाबन्दी (खेवट खतौनी) (नियम-153 (क) देखिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम :—————— पटवार सर्किल :—————— भू-अभिलेख निरीक्षक सर्किल :——————

तहसील :—————— जिला :—————— राजस्थान, संवत् —————— से —————— तक

मापी गई क्षेत्रफल की इकाई :—————— भूमि धारक :—————— राजस्थान सरकार / भारत सरकार ——————

खेवट खतौनी संख्या नया	पुराना	भू-धृति की प्रकृति सहित अभिधारी का नाम, पिता का नाम, जाति और निवासीय पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	सिंचाई के स्त्रोत	कृषक द्वारा संदत्त लगान	तारीख और क्रमांक सहित नामान्तरण संबंधी टिप्पणी	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

32

प्रपत्र सं- 26 (1)
जमाबन्दी (खेवट खतौनी)
(नियम 153(क) देखिए)

जमाबन्दी (खतौनी) :- पटवार सर्किल :—————————————भू० नि०स० र्किल—

ग्राम:———————————

तहसील: ——————————जिला—————राजस्थान/सम्वत्——से———तक

मापी गई क्षेत्रफल की इकाई ——————

भूमि धारक : राजस्थान सरकार / भारत सरकार

खेवट खतौनी संख्यांक	भू-धृति की प्रकृति सहित अधिधारी का नाम, पिता का नाम, जाति और निवासीय पता
नया	पुराना
1	3

खसरा संख्यांक	क्षेत्रफल	भूदा वर्गीकरण	सिंचाई के स्त्रोत	कृषक द्वारा संदत्त लगान	तारीख और संख्यांक सहित नामान्तरण संबंधी टिप्पणी	अभ्युक्तियां
4	5	6	7	8	9	10

क्रमशः........5

टिप्पण :- प्रमाणित किया जाता है कि इस कम्प्यूटरीकृत प्रति में दिनांक ______________ तक के सभी परिवर्तन सम्मिलित है ।

सही प्रतिलिपि

प्रतिलिपि रजिस्टर
क्रम संख्या मय तारीख :- ______________
तैयार करने की तारीख :- ______________

हस्ताक्षर तहसीलदार/नायब तहसीलदार
मय सील

प्रति जारी
करने की तारीख :- ______________

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसने
प्रति तैयार की है :

प्रति जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम ______________ ______________ और हस्ताक्षर ______________ ______________ और सील ______________

केन्द्र कोड संख्यांक ______________

राज्यपाल के आदेश से,

(एल० एन० शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक / विशिष्ट सहायक, मुख्यमंत्री/राजस्वमंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
4. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर ।

क्रमशः....6 पर

5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 20.7.02 में प्रकाशनार्थ ।
6. निदेशक, (कम्प्यूटर) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ।
7. "राजेरा" राजस्व मण्डल अजमेर ।
8. निदेशक, आर आर टी आई, अजमेर ।
9. संयुक्त रजिस्ट्रार (जजेज लाइब्रेरी) सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली ।
10. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
11. समस्त शासन उप सचिव (राजस्व 1,2,3,5,7,8,9, उप निवेशन, देवस्थान) विभाग
12. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/